प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 13.03.2026

- **आवेदक को मोबाइल पर एपीके पाइल भेजकर मोबाइल हैक करके आवेदक के खाते से आरटीजीएस के माध्यम से ₹ 9,14,000/- तथा यूपीआई के माध्यम से ₹ 80,000/- निकाल लेने के सम्बन्ध में साइबर हेल्प डेस्क थाना भोगनीपुर पर शिकायत की गयी थी।**
- **थाना भोगनीपुर पुलिस (साइबर हेल्प डेस्क) द्वारा कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता के खाते में धनराशि ₹ 6,59,999/- को वापस कराया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध निवारण की दिशा में साइबर क्राइम से सम्बंधित घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, शिकायतकर्ता विनोद कुमार पुत्र सोनेलाल निवासी 143/बी मालवीयनगर पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को अज्ञात साइबर ठग द्वारा एपीके फाइल भेजकर मोबाइल को हैक करके आवेदक के खाते से आरटीजीएस के माध्यम से दिनांक-19.12.2025 को ₹ 9,14,000/- एवं यूपीआई के माध्यम से ₹ 80,000/- निकाल लेने के सम्बन्ध में दिनांक 21.12.2025 को साइबर हेल्प डेस्क थाना भोगनीपुर पर शिकायत दर्ज करायी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 418/2025 धारा 318(4) बीएनएस व 66D आईटी एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। थाना भोगनीपुर (साइबर सेल हेल्प डेस्क) द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरटीजीआर के माध्यम से निकाली गयी धनराशि ₹ 9,14,000/- में से होल्ड हुये धनराशि ₹ 6,59,999/- दिनांक 12.03.2026 को शिकायतकर्ता के खाते में वापस करायी गयी है। शेष धनराशि की बरामदगी हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। पुलिस की कार्यवाही से शिकायतकर्ता ने थाना भोगनीपुर पुलिस का धन्यवाद दिया।

खाते से धोखाधड़ी से पैसा निकलने की दशा में तुरन्त 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करे।

वापिस करायी गयी कुल धनराशि-

₹ 6,59,999/-

धनराशि वापिस कराने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार सिंह

2. उपनिरीक्षक श्री अवनीश वर्मा

3. आरक्षी 03 नितिन कुमार